कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मुरादाबाद।

पत्रांक:पु0अ0याता0–14(गति सीमा)/2021 दिनांक:मार्च ,2021

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम–1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) के धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है,

और जहां उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरवाहन नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नगर निगम क्षेत्र के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरवाहन नियमावली–1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं प्रभाकर चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मुरादाबाद, मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र में पडने वाले मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्न तालिकानुसार निर्धारित करता हूँ:–

क्र0 सं0	स्थान (कहॉ से कहॉ तक) जहॉ गति निबंधित रहेगी	यान का श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित गति सीमा			
		टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 3,4 एवं 5 को छोडकर अन्य समस्त यात्रीयान
1	2	3	4	5	6
1	फव्वारा तिराहा से रामगंगा नदी पुल तक (रामपुर रोड़)	20	30	30	30
2	सम्भल चौराहा से सम्भल तिराहे/आर0टी0ओ0 तिराहा तक (सम्भल रोड़)	20	30	30	30
3	फव्वारा तिराहा से गागन नदी पुल तक (दिल्ली रोड़)	30	40	40	40
4	फव्वारा तिराहा से कॉसमास अस्पताल तक (कॉठ रोड़)	20	30	30	30
5	नगर निगम सीमा के भीतर अन्य सभी मार्ग	20	20	20	20

४

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा–

1. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एवं अंतिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
2. उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नही होगा–
   - अग्नि शमन वाहन
   - एम्बुलेंस
   - पुलिस वाहन
   - कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन
   - प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(प्रभाकर चौधरी)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद मुरादाबाद

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0
3. अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली।
4. आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
5. पुलिस महानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद।
6. जिलाधिकारी, जनपद मुरादाबाद।
7. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नगर आयुक्त, नगर निगम जनपद मुरादाबाद को इस अनुरोध से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड मानक के अनुसार प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एवं अंतिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह जगह पर इस प्रकार लगाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे दिन व रात में वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके।
2. पुलिस अधीक्षक, नगर / ग्रामीण / यातायात जनपद मुरादाबाद।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी / पश्चिमी), लखनऊ, उ0प्र0।
4. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), जनपद मुरादाबाद।
5. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), जनपद मुरादाबाद।

6. सचिव, जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि कृपया आगामी जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उक्त संदर्भित लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित उक्त सूचना का अनुमोदन कराने का कष्ट करें।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड–1/निर्माण खण्ड–3 लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।
8. जिला सूचना अधिकारी, मुरादाबाद को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(प्रभाकर चौधरी)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद मुरादाबाद